न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 2020/00036 (24/2020)

अपीलान्ट्स

1. अचल सिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह
2. अमर सिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह
4. श्रीमती सिरूकंवर पत्नी स्व0 लादूसिंह
   सभी जातियान राजपूत, निवासी देवातु तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. फोज सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. विजय सिंह पुत्र स्व0 आईदानसिंह
   दोनों जाति राजपूत निवासी देवातु, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
3. आईदानराम पुत्र मेगाराम, जाति गवारिया, निवासी बालेसर सता तहसील बालेसर, हाल निवासी देवातु तहसील सेखाला जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सेखाला।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध बंटवाड़ा आदेश क्रमांक राजस्व/बंटवाड़ा/2020/5 दिनांक 03.07.2020 जो तहसीलदार सेखाला द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति

1. अपीलान्ट्स की ओर से अभिभाषक श्री लाघूराम पूनिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अभिभाषक सुमन किशोर माथुर उपस्थित।

–: आदेष :– दिनांक :– 31.08.2020

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा आदेश क्रमांक राजस्व/बंटवाड़ा/2020/5 दिनांक 03.07.2020 जो तहसीलदार सेखाला द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं0 613 रकबा 4 बीघा ग्राम देवातु के चार खातेदार क्रमशः प्रथम जोधसिंह पुत्र कोजसिंह, द्वितीय आईदानसिंह, मोतीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, तृतीय उदयसिंह, पदमसिंह पुत्र राणीदानसिंह तथा चतुर्थ लादूसिंह पुत्र बुलीदानसिंह थे। जिसमें जोधसिंह का [illegible] निसन्तान होने पर उनका 1/4 हिस्सा उनके भाई के [illegible] बुलीदानसिंह के नाम जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:20 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण संख्या 612 दर्ज किया गया। इस प्रकार लादूसिंह का उपरोक्त खसरा में जोधसिंह के बाद 1/2 हिस्सा खातेदारी में हो गया। उपरोक्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार उदयसिंह व पदमसिंह ने अपना हिस्सा प्रत्यर्थी फोजसिंह को दिनांक 15.02.2010 को बेचान कर दिया। इसी प्रकार लादूसिंह ने अपने हिस्से की 1 बीघा भूमि का बेचान प्रत्यर्थी आईदानराम गवारिया को दिनांक 15.02.2010 को कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त उपरोक्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार फोजसिंह व 1/4 हिस्से के खातेदार आईदान गवारिया हो गये। इस प्रकार लादूसिंह के पास उपरोक्त बेचान के बाद 1/4 हिस्सा यानि 1 बीघा भूमि शेष रही। खातेदार लादूसिंह का बाद में देहान्त हो गया जिनके हिस्से की भूमि उनके उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण को प्राप्त हुए तथा अन्त खातेदार सांगसिंह पुत्र आईदानसिंह का भी देहान्त हो गया जिसका उत्तराधिकारी हक उसके भाई विजयसिंह को प्राप्त हुआ। मृतक खातेदार लादूसिंह व सांगसिंह के उत्तराधिकारी विरासत का नामान्तरकरण संया 1763 दर्ज किया गया। दिनांक 03.07.2020 को प्रत्यर्थी फोजसिंह व विजयसिंह ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त भूमि के हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का कहकर पटवारी हल्का के पास ले गये। जहां पर अपीलार्थीगण के आपसी सहमति बंटवाड़ा के खाली फार्म, खाली स्टाम्प व नक्शा पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ के निशान करवाये। इसके बाद फोज सिंह व विजय सिंह ने मिलकर अपीलार्थीगण के जाने के बाद अपीलार्थीगण के 1/4 हिस्से के रकबे यानि 1 बीघा के स्थान पर कम रकबा 7 बिस्वा बंटवाड़े के फॉर्म में लिख दिया तथा तहसीलदार ने बिना कोई जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1764 दिनांक 06.07.2020 को पारित कर दिया। जिसका गांव में पता चलने पर अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का से दिनांक 08.07.2020 को जमाबन्दी की नकल ली तब अपीलार्थीगण को आपसी बंटवाड़े में कम भूमि देने एवं फोज सिंह व विजय सिंह को उनके हिस्से से भी अधिक भूमि बंटवाड़े में देने की पहली बार जानकारी हुई। इस प्रकार तहसीलदार सेखाला के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2020 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अभिभाषक श्री सुमन किशोर माथुर ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 24.08.2020 को सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 31.08.2020 को रखी गयी।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश विधि व न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि पर 1/4–1/4 हिस्से में प्रत्येक को एक बीघा भूमि ही बंट में आती है। जिनको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 6 बिस्वा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 7 बिस्वा भूमि अधिक देकर तथा अपीलार्थी को एक बीघा के स्थान पर केवल 7 बिस्वा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:20 IST
Reason: SelfAttested

बंट में देकर किया गया बंटवाड़ा आदेश गैर कानूनी व निरस्त योग्य है। जो माप व सीमांकन के के आधार पर किये गये बंटवाड़े में नहीं आता है।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि बंटवाड़ा कार्यवाही खाली कागजात पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ लेकर धोखे व मिलीभगत से करवायी गयी होने से उस पर पारित बंटवाड़ा आदेश स्वतः ही शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य बताया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि अपीलाधीन बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार करना बताया जा रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फोजसिंह को बेचानकर्ता, उदयसिंह व पदमसिंह का 1/4 हिस्सा रकबा 1 बीघा खातेदारी में था इससे अधिक भूमि का बेचान उदयसिंह व पदमसिंह नहीं कर सकते थे तथा उसने हिस्से से भी अधिक रकबे का बेचान स्वतः ही शून्य एंव निरस्त योग्य होना बताया।

रेस्पोडेन्ट विजयसिंह तथा उसके पूर्वज आईदान सिंह व मोतीसिंह का भी विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा यानि रकबा 1 बीघा खातेदारी में है उससे अधिक भूमि बंटवाड़े में देने का आदेश भी गैर कानूनी एवं निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थीगण के पिता/पति स्व0 लादूसिंह को उसके चाचा जोधसिंह के देहान्त होने के बाद उनका हिस्सा लादूसिंह को प्राप्त हुआ जिससे लादूसिंह का 1/2 हिस्सा यानि रकबा 2 बीघा खातेदारी में हो गया। इसके बाद लादूसिंह ने एक बीघा भूमि आईदानराम गवारिया को बेचान कर दी। इसके बाद लादूसिंह के पास 1/4 हिस्सा रकबा 1 बीघा खातेदारी में रहा जिसको प्राप्त करने के अपीलार्थीगण अधिकारी है। उक्त 1/4 हिस्से में से कोई भी रकबा किसी को भी हस्तानान्तरण नहीं किया गया है, इस प्रकार अपीलाधीन बंटवाडा पक्षकारान् के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के विपरीत किया गया जिस कारण उक्त बंटवाड़ा आदेश निरस्त योग्य है।

अन्त में अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2020 तथा उसके अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1764 दिनांक 06.07.2020 ग्राम देवातू को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में गलत तथ्य लिखे है एवं खसरा नं0 613 के सह खातेदारों के हिस्सों बाबत् गलत तथ्य लिखे है। ग्राम देवातू खसरा नं0 613 रकबा 4 बीघा में जोधसिंह पुत्र कोजसिंह का 1/4 हिस्सा न होकर 1/6 हिस्सा बनता है, आईदानसिंह पुत्र मोतीसिंह का हिस्सा 1/4 न होकर 1/3 बनता है। इसी प्रकार उदयसिंह, पदमसिंह पुत्र राणीदानसिंह का 1/4 हिस्सा न होकर 1/3 हिस्सा बनता है व लादूसिंह पुत्र बुलीदान का केवल 1/6 हिस्सा बनता है तथा जोधसिंह व भैरूसिंह जो [illegible] फौत हुए उनका संयुक्त 1/6 हिस्सा लादूसिंह को मिलने पर उसका कुल [illegible] में 1/3 हिस्सा बनता है। किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:20 IST
Reason: SelfAttested

भी स्थिति में लादूसिंह का 1/2 हिस्सा नहीं बनता है इस प्रकार अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में गलत तथ्य लिखे है। खतौनी बन्दोबस्त एवं उसमें वर्णित व्यक्तियों की वंशावली से भी स्पष्ट है कि लादूसिंह का केवल 1/3 हिस्सा बनता है।

उदयसिंह व पदमसिंह द्वारा अपने 1/3 हिस्से का हस्तानान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फोजसिंह के पक्ष में किया गया है न कि 1/4 हिस्से का, लादूसिंह ने भी अपना 1/3 हिस्से में से 1 बीघा भूमि का हस्तानान्तरण आईदानराम गवारिया को दिनांक 15.02.2010 को किया गया इस कारण लादूसिंह के हिस्से में केवल 7 बिस्वा भूमि शेष बचती है। अपीलार्थीगण का यह कथन सरासर गलत है कि लादूसिंह का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 आता है एवं उनके द्वारा 1 बीघा भूमि का हस्तानान्तरण आईदानराम गवारिया को करने के पश्चात् शेष एक बीघा भाूमि लादूसिंह के हिस्से में शेष रहती है जबकि रेस्पोडेन्ट फोजसिंह को 1/3 हिस्से का बेचान किया गया था। अतः फोजसिंह के हिस्से में सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा आता है।

अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारान् की सहमति से पारित किया गया एवं सहमति के आधार पर पारित किये गये आदेश को सहमति देने वाले पक्षकारान् अपील में चुनौती नहीं दे सकते है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण सहित उपरोक्त भूमि के सभी सह खातेदार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए थे एवं उन्होनें विभाजन, इकरारनामा पर अपनी सहमति से क्रम से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये थे। अतः अपील विधि विरूद्व होने से अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण का कहना है कि अपीलार्थीगण के आपसी सहमति बंटवाड़ा के खाली फार्म, खाली स्टाम्प व नक्शा पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ के निशान धोखे से करवाये गये। यदि धोखे से करवाये गये है तो धोखे का आरोप है तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय है ना कि राजस्व न्यायालय। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक नजीर 2012(1)RRT पेज नं0 558 प्रस्तुत की। जिसमें उल्लेख है कि "Question of fraud cannot be adjudicated effectively by the Revenue Courts."

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध बंटवाड़ा आदेश क्रमांक राजस्व/बंटवाड़ा/2020/5 दिनांक 03.07.2020 जो तहसीलदार सेखाला द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है।

पत्रावली पर उपलब्ध मूल आपसी सहमति बंटवाड़ा का अवलोकन किया जिसमें सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ के निशान है। उक्त बंटवाड़ा तहसीलदार के समक्ष सभी सह खातेदारों की उपस्थिति में पेश किया गया है।

अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने खाली स्टाम्प/पेपर पर हस्ताक्षर करा लिये। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:20 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि सभी सह खोतदारों ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश किया है। राजस्व न्यायालय द्वारा कपट के प्रश्न को प्रभावी रूप से अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता। धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सभी प्रकार के सिविल विवादों के विचारण की सिविल न्यायालय को अन्तर्निहित अधिकारिता है। राजस्व न्यायालय द्वारा कपट जैसे बिन्दुओं पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:20 IST
Reason: SelfAttested